

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::

क्रमांक: 1088/192/2022/38-1

भोपाल, दिनांक: 21/06/2022

प्रति,


समस्त अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

विषय:- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजनांतर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

--:000:--

शासन के संज्ञान में यह आया है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजनांतर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में महाविद्यालयों द्वारा अनावश्यक विलंब किया जाता है ।

2. अतः निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजनांतर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के शुल्क के भुगतान संबंधी कार्यवाही समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें । यदि योजना में पात्र विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य तथा संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

  
17.06.22  
(संघमित्रा गौतम)

उप सचिव


म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक: 21/06/2022

पृ. क्रमांक: 1089/192/2022/38-1

प्रतिलिपि:-

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल म.प्र.

  
उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग